

केस नं० बनाम लेनमल
 प्रकरण संख्या.....

नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	किस्म मुकदमा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		<p>5/x/18 वकुनाथ फरीकेन उपस्थित । दिनांक 30/05/2018 को वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रक वादी के कायम मुकाम डेफेंड पर लेने वाकन सूची पेश करने हेतु समय चाहा गया। पुनः दिनांक 28/09/2018 को कायम मुकाम पेश करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा अवल चहा गया। न्याय स्थल में मौका दिया गया। फिर भी आवक दिनांक तक का 200 सूची पेश नहीं की न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई। प्रकरण का सुवर्णन किया गया। परिशिष्ट अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 120 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि किसी धरवादी / अपीलार्थी के कायम प्रतिवादी या पक्षार्थी के विधिगत उत्तिमिधि को CPC 1908 के अधीन प्रश्नकार बनाने के लिए 90 दिन की पाठिसीता निश्चित है इस बाद में 90 दिन किधीरित समयवधि में विधि उत्तिमिधियों को प्रश्नकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद का उपशमन हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज किया जाता है। भित्तक किमल शुभार होकर नेचल हो कम हो। निर्णय आज दिनांक 5/10/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
 जिला-जालोर (राज.)